

द्वारा : ई-मेल
अति-आवश्यक

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/काउन्सिल/2019/971

Principal,
Bharat Hospital And Research Center,
Near Railway Station, Sujangarh,
Churu

दिनांक: 27-05-19

विषय:- सत्र 2017-18 के प्रथम वर्ष एवं रिमान्डेड परीक्षा - 2015-16 एवं 2016-17 के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र न देने के शिकायत के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 949 दिनांक 23.05.2019 एवं 688 दिनांक 26.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि आपके संस्थान में अध्ययनरत अभ्यर्थी द्वारा शिकायत की गई है कि आप द्वारा अभ्यर्थियों को आयोजित परीक्षा दिनांक 28.05.2019 से 01.06.2019 की परीक्षा के प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। (आदेश की प्रति संलग्न)

आप द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र नहीं देने तथा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए आपकी संस्था/कॉलेज का आगामी प्रवेश आवंटन पर रोक लगाई जाती है।

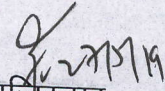
आज दिनांक 27.05.2019 को सायं 04:00 बजे तक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करावें, यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र नहीं देने की शिकायत 04:00 बजे पश्चात् प्राप्त होती है तो बिना सुनवाई के मान्यता भी समाप्त कर दी जायेगी।

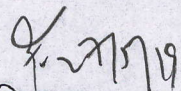
आप द्वारा आज दिवस तक अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र नहीं दिये जाने की वस्तुस्थिति से भी तुरन्त अवगत करावें।

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/काउन्सिल/2019/971

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय,, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रका, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार
दिनांक: 27-05-19


रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

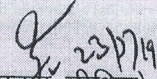
क्रमांक: पैरामेडि.कौ/परीक्षा-कंडक्ट/2019/१५१

दिनांक: 23-05-19

-:आदेश:-

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा मई, 2019 में दिनांक 28.05.2019 से दिनांक 01.06.2019 तक प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा एवं सत्र 2015-16 एवं सत्र 2016-17 रिमाण्डेड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को सम्बन्धित कॉलेज/संस्थान द्वारा प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

सभी सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं रोका जायें, किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र रोके जाने पर अभ्यर्थी के भविष्य से खिलवाड़ करने की श्रेणी में मानते हुए अभ्यर्थी की शिकायत पर कॉलेज/संस्थान के विरुद्ध आगामी काउन्सिलिंग (प्रवेश प्रक्रिया) में अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जाने की कार्यवाही बिना किसी सुनवाई के, की जायेगी, जिसके लिए प्रधानाचार्य/कॉलेज प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/परीक्षा-कंडक्ट/2019/१५१

दिनांक: 23-05-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. उप परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज, राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
5. सूचना बोर्ड, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में शिकायत लिखित करते हुए अपना नाम, कॉलेज का नाम एवं प्रवेश पत्र उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम भी अंकित करें।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि पत्र आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर-302015

फोन नम्बर 0141-2973804 2988946 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक : पैरामेडि.कौ/परीक्षा/2019/688

दिनांक :- 26/5/19

प्राचार्य,
समस्त मान्यताप्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थान,
राजस्थान

विषय : राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा माह मई-जून, 2019 में आयोजित कराई जा रही परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किये जाने के संबंध में।
संदर्भ : इस कार्यालय का पूर्व आदेश 949 दिनांक 23.05.2019

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रथम वर्ष मुख्य व रिमान्डेड परीक्षाएं माह मई-जून, 2019 में आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए संबंधित संस्थान के पोर्टल पर विद्यार्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिये गये हैं, किन्तु कई संस्थानों के परीक्षार्थियों द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि बार-बार कौंसिल से परीक्षा प्रवेश पत्र विद्यार्थियों को तुरन्त जारी किये जाने के संदर्भित निर्देशों के बावजूद भी कई संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से आगामी वर्ष की ट्यूशन फीस अथवा अन्य अनुचित अतिरिक्त फीस जमा कराये जाने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है तथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः समस्त संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान के समस्त विद्यार्थियों को इस परीक्षा के प्रवेश पत्र तुरन्त जारी करावें। साथ ही आज दिनांक 26.05.2019 सायं 4:00 बजे तक इन प्रवेश पत्रों को जारी कर इसकी सूचना कौंसिल में प्रस्तुत करावें। साथ ही जिन विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उनकी सूची विवरण मय समुचित कारण के कौंसिल को आज सायं 4:00 बजे तक अवगत करावें।

कृपया सूचित रहें कि विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं करना कौंसिल के प्रावधानों तथा संबंधित संस्थान को कौंसिल द्वारा पैरामेडिल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में आपके संस्थान की मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जाकर आगामी सत्र 2019-20 में काउन्सिलिंग के माध्यम से आपके संस्थान को विद्यार्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक/काउन्सिलिंग शाखा/मान्यता शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. रक्षित पत्रावली

(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार